झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत)—गिरिडीह / PDS (Card)—90 / 2021 – 206

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 15·03·2023

विषयः— **श्री कन्हैया सिंह, ग्राम—पपरवाटांड, पो0—करहरबारी, जिला—गिरिडीह से प्राप्त परिवाद पत्र के मामले में कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री कन्हैया सिंह, ग्राम—पपरवाटांड, पो0—करहरबारी, जिला—गिरिडीह द्वारा एक ही परिवार के संपन्न व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड रखने संबंधी मामले में विभागीय पत्रांक—53 दिनांक—05.01.2023 का अबतक अनुपालन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत की गई है। साथ ही उक्त मामले में शेष राशि की Recovery किये बिना उनके द्वारा PGMS पोर्टल पर दर्ज शिकायत सं0—234841 निस्पारित कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मामले में विधिसंगत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने एवं पूर्ण Recovery प्राप्त कर के ही उक्त शिकायत निस्पादित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/3/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\jharf\Dropbox\Anju @\Letters.docx50

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

Gmail

food commission <jharfoodcommission@gmail.com>

Fwd: संपन्न परिवार के सदस्यों के द्वारा फर्जी तरीके से पी एच राशन कार्ड बना कर(एक नाम से दो, कूल चार कार्ड) सरकारी राशन की लूट. संबंधित विभाग द्वारा हुआ आधा अधूरा रिकवरी।

1 message

Kanhaiya Singh <kanhaiyaks9805585@gmail.com> — Mon, Feb 27, 2023 at 12:52 PM
To: jharfoodcommission@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
From: **Kanhaiya Singh** <kanhaiyaks9805585@gmail.com>
Date: Mon, Feb 27, 2023, 12:51 PM
Subject: Fwd: संपन्न परिवार के सदस्यों के द्वारा फर्जी तरीके से पी एच राशन कार्ड बना कर(एक नाम से दो, कूल चार कार्ड) सरकारी राशन की लूट. संबंधित विभाग द्वारा हुआ आधा अधूरा रिकवरी।
To: food secretary <food.secy@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
From: **Kanhaiya Singh** <kanhaiyaks9805585@gmail.com>
Date: Mon, Feb 27, 2023, 12:51 PM
Subject: Fwd: संपन्न परिवार के सदस्यों के द्वारा फर्जी तरीके से पी एच राशन कार्ड बना कर(एक नाम से दो, कूल चार कार्ड) सरकारी राशन की लूट. संबंधित विभाग द्वारा हुआ आधा अधूरा रिकवरी।
To: <ac-giridih@jharkhandmail.gov.in>

---------- Forwarded message ---------
From: **Kanhaiya Singh** <kanhaiyaks9805585@gmail.com>
Date: Mon, Feb 27, 2023, 12:50 PM
Subject: संपन्न परिवार के सदस्यों के द्वारा फर्जी तरीके से पी एच राशन कार्ड बना कर(एक नाम से दो, कूल चार कार्ड) सरकारी राशन की लूट. संबंधित विभाग द्वारा हुआ आधा अधूरा रिकवरी।
To: <dc-gir@nic.in>

माननीय,
Please find the attachment
संलग्नक के माध्यम से देखा जा सकता है की शेष राशि की रिकवरी बाकी थी।फिर क्या कारण है कि शेष रिकवरी को बिना प्राप्त किए संबंधित विभाग के द्वारा मेरी शिकायत संख्या 238481(पीजीएमएस के डीएफसीए पोर्टल) को निष्पादित कर दिया गया.

ये परिवार आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण है, कई मालवाहक वाहन परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत है, चार चक्के वाहन से परिवार के सदस्य चलते हैं। ऐसे परिवार को किस आधार पर लूट की छूट देकर भारी रियायत दी गई है।क्या संबंधित जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय (गिरिडीह झारखंड) की मिलीभगत से यह सब संभव नहीं हुआ है. ऐसे में इस सरकारी राजस्व की क्षति की जिम्मेवारी कौन लेगा।अगर बिना किसी जांच प्रतिवेदन के शिकायत को निष्पादित किया जाता है, तो फिर जन शिकायत की क्या प्रासंगिकता रहेगी।
मेरी शिकायत का समुचित निवारण अभी तक नहीं हुआ है, विधि संगत जांच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए, पूर्ण रिकवरी प्राप्त करके ही वर्णित शिकायत संख्या को निष्पादित किया जाए।
अगर संबंधित विभाग द्वारा मेरी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी तो बाध्य होकर शिकायत को उच्च अधिकारियों को तथा न्यायिक प्रक्रिया में अग्रसारित करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। अतः विनम्र निवेदन है कि मेरी शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।
साभार
कन्हैया सिंह

IMG_20230116_131124.jpg
616K

निबंधित डाक

(148)

पत्रांकः– FPDCA sec-2/Sec-1-2/2022/FPDCA 53

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव।

प्रेषित,

श्री कन्हैया सिंह,
ग्राम–पपरवाटाँड़, पो०–करहारबारी, जिला–गिरिडीह,
पिन–815311

राँची / दिनांक 05/01/23

विषयः– PGMS Portal पर दर्ज कराये गये शिकायत संख्या–238481 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित शिकायत की जाँच उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार राशनकार्ड संख्या–202006772904 एवं 202006772849 के विरूद्ध दस–दस हजार रूपये जमा कराया गया है तथा शेष राशि जमा नहीं किये जाने के कारण नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। राशनकार्ड संख्या–202006773757 एवं 202006766762 के विरूद्ध पूरी राशि वसूली की गई है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

05/01/23

(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।